न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजाखेड़ा (धौलपुर)

पीठासीन अधिकारी :- मुकेश कुमार मीणा (आर०ए०एस०)

मुकदमा नम्बर: 16/2009

उनवान प्रकरण मुक: 1- रामसुजान वल्द जयराम कौम ब्राह्मण
साकिन बिचोला तहसील राजाखेड़ा
(दौराने दावा फौत)

1/1- पातीराम
1/2- विनोद कुमार
1/3- राकेश
1/4- रामवरन
1/5- राजेन्द्र
1/6- मुकेश

पुत्रगण रामसुजान
जाति ब्राह्मण निवासी
ग्राम बिचोला
तहसील राजाखेड़ा
जिला धौलपुर

---- वादीगण

बनाम

1- बाबूलाल पुत्र चेतराम कौम ब्राह्मण
साकिन बिचोला (फौत)
1/1- नेकासिया पुत्र चेतराम कौम ब्राह्मण
साकिन रामगढ़ तहसील अम्बाह जिला
मुरैना (म०प्र०)
1/2- रामनिवासी
1/3- रामस्वरूप
1/4- राम सहाय

पिसरन सरवन
अकवाम ब्राह्मण
निवासीगण ग्राम अम्बाह
जिला मुरैना (म०प्र०)

1/5- गया वेवा सरवन (फौत)
2- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार
राजाखेड़ा : ---- प्रतिवादीगण

दावा दस्तकशी हक व हुकम
इम्तनाई दवामी।

उपस्थिति :- श्री विमल कुमार शर्मा वकील वादीगण

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)

P.T.O

निर्णय — दिनांक:— 09-09-2

यह दावा न्यायालय में वादी द्वारा अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 आर० टी० एक्ट के तहत विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 1 व 2 इन तथ्यों के साथ पेश किया गया कि विवादग्रस्त आराजी ख०नं० गैर 3955 रकबा 0 बीघा 2 बिस्वा, हाल नं० 4822 रकबा 19 बिस्वा, 3956 रकबा 0 बीघा 07 बिस्वा हाल नं० 4821 रकबा 0 बीघा 02 बिस्वा, 3957 रकबा 0 बीघा 15 बिस्वा, हाल नम्बर 4820 रकबा 0 बीघा 9 बिस्वा वाके कस्बा मदहवार नं० 2 स्व० प्रतिवादी नं० 1 की खातेदारी काश्त व कब्जे की थी। अब आपसे से 15-16 साल पूर्व स्व० प्रतिवादी नं० 1 अपनी सकूनत तर्क कर तथा घर काश्त आदि छोड़कर मध्यप्रदेश इलाके की ओर चला गया और उधर ही बस गया। तब से प्रतिवादी नं० 1 इस गाँव में नहीं रहा और न ही यहाँ कोई काश्त की है। राजस्थान टेनेन्सी एक्ट आने से पूर्व प्रतिवादी नं० 1 ने सकूनत तर्क करने से पूर्व अपने कब्जे की विवादग्रस्त आराजियात तथा आराजी ख० नं० 205 रकबा 0 बीघा 10 बिस्वा हाल ख० नं० 189 रकबा 0 बीघा 4 बिस्वा वाके ग्राम नीमडांडा वादी को व रजामंदी जमींदारान वास्ते काश्त हमेशा हमेश को दे दी थी तब से उपरोक्त आराजी पर वादी का बदस्तूर कब्जा चला आ रहा है। प्रतिवादी नं० 1 का कब्जा कतई नहीं रहा है। इस सम्बन्ध में एक इकरारनामा भी लिखा गया था। इस प्रकार कानूनन वादी को विवादग्रस्त आराजी पर खातेदारी हकूक प्राप्त हो चुके हैं। यदि स्व० प्रतिवादी के कोई हकूक थे तो वह जाया हो चुके हैं। पटवारी हल्का ने विवादग्रस्त आराजी पर वादी के नाम के सही इन्द्राज नहीं किये और कागजात सरकार में किसी भूल से प्रतिवादी सं० 1 का नाम बतौर खातेदार काश्तकार चला आ रहा है। पुराने कागजात में देखिये वल्द मवासिंह, रामा वल्द तुलसा के नाम भी शामिल व फर्जी तरीके से दर्ज हुए। उन्होंने कभी काश्त नहीं की है। उनके हकूक बहुत पहले ही समाप्त हो चुके हैं। दावा

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)

दावरी से लगभग एक माह पूर्व प्रतिवादी संख्या 3 व 4 वादी के हकूकों से इन्कारी होने पर तथा वाइमी तौर पर इन्द्राजात की दुरुस्ती से हाल माकूल करने तथा जबरन कब्जा करने की धमकी देने पर दावा दायर करने की जरूरत उत्पन्न हुई तथा स्वयं को विवादित आराजी का खातेदार घोषित कराने तथा प्रतिवादी संख्या-1 का हुक्म इम्तनाई दवामी से पाबन्द कराने की प्रार्थना के साथ न्यायालय में दावा प्रस्तुत किया तथा सवा डिक्री जारी किये जाने बाबत निवेदन किया है।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की तामील साधारण तौर पर न होने पर उनकी तामील अखबार में प्रकाशन करवाई गयी। बावजूद तामील न्यायालय में उपस्थित न आने पर उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। तदुपरान्त दावा दिनांक 31-3-1970 को एकपक्षीय रूप से सहायक जिलाधीश धौलपुर द्वारा डिक्री किया गया। इस डिक्री की पालना होकर उसी समय में वादी के नाम के खातेदारी के इन्द्राज भी राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुए।

तदुपरान्त न्यायालय में प्रा० पत्र 09 R-13 CPC एकपक्षीय डिक्री को निरस्त कराने का पेश किया गया। प्रा० पत्र 09 R 13 CPC दिनांक 27-7-71 को स्वीकार किया गया तथा डिक्री दिनांक 31-3-1970 को निरस्त किया गया तथा दावा पुनः नम्बर पर लिया गया। इसी दरम्यान प्रतिवादी संख्या-1 बाबूलाल का देहान्त हो गया तथा उसके वारिसान को रिकार्ड पर लिया गया जो कि प्रतिवादी संख्या 1/1 लगा 1/5 है दिनांक 21-8-78 को प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1/1 लगा 1/5 की ओर से जवाब दावा पेश किया गया। अपने जवाब में उनके द्वारा वादपत्र के कथनों से सामान्य रूप से इन्कार करते हुए कथन किया है कि विवादित आराजी पर वादी का कब्जा कभी नहीं रहा है

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)

क्रमशः—4

और दायरी दावा के समय भी रहीश था। बाबूलाल जो वादी का कब्जा था, उनके देहान्त के बाद प्रतिवादी स0/1 स्वीकार कब्जा है। कथित इकरारनामा जाली फर्जी एवं प्रभावहीन दस्तावेज है। जिसका विधि के प्रावधानों में कोई महत्व नहीं है वादी इस आराजी पर कोई अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है इसलिए दावा मय खर्चा के खारिज किया जावे। जवाब के साथ प्रतिवादीगण की ओर से कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया।

तदुपरान्त प्रकरण में निम्न प्रकार से तनकीयात कायम की गयी:-

(1) आया वादी बादग्रस्त आराजी ख0नं0 वर्तमान 4822, 4821, 4820 वाके ग्राम कस्बा महदवार के खातेदार कृषक व आदि पत्र धारी है। — — — वादी

(2) आया स्वर्गीय बाबूलाल पुत्र चेतराम ने वादी के पक्ष में इकरारनामा दिनांक 12-7-62 निष्पादित किया। यदि ऐसा है तो इसका दावे पर क्या प्रभाव है। — — — वादी

(3) आया बाबूलाल वाद के प्रस्तुतीकरण से 15-16 वर्ष पूर्व आराजीयात को छोड़कर चला गया और यदि ऐसा है तो इसका वाद पर क्या प्रभाव पड़ेगा। — वादी

(4) आया बाबूलाल में निहित बादग्रस्त आराजीयात के अधिकार खातेदारी समाप्त हो चुके है। — वादी

तत्पश्चात प्रतिवादी सं. 1/5 की मृत्यु होने पर उसके कायम मुकाम की कार्यवाही में उसके आगे केस मय आर्डर किया गया। दावा 22-2-97 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज हो गया जिसे न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन सहायक अधि. न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन सहायक अधि कलेक्टर भरतपुर कैम्प धौलपुर के निर्णय दिनांक 15-01-2009 से पुनः नम्बर पर लिया गया।

प्रकरण में दोनों पक्षों को पुनः तलब किया गया वकील वादी दिनांक 9/5/19 को न्यायालय में उपस्थित

क्रमशः - 5

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)

गये। प्रतिवादीगण की सही पता की जानकारी न होने के
कारण सम्मन आईम तामील वापस आये अतः प्रतिवादीगण
की तलबी दैनिक भास्कर जो मुरैना (म०प्र०) व धौलपुर मे छपता
है प्रकाशन होता है मे ज्ञापन कराने के दिनांक
19-12-11 को आदेश दिये गये। अखबार मे साया होने के
उपरान्त प्रतिवादीगणों के न्यायालय मे उपस्थित न आने
के कारण दिनांक 14-3-2016 को प्रतिवादी सं. 1, लगा० 5 के
विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। वादी की
मृत्यु होने पर उसके कायम मुकाम की कार्यवाही की गयी)

साक्ष्य वादी मे दस्तावेजी साक्ष्य मे नकल
मिलान ओरगल प्रदर्श 1, नकल जमाबन्दी (खेवट खतौनी) सं. खेवट
2025-28 प्रदर्श-2 नकल खतौनी बन्दोबस्त सम्वत 2022
2027-29 प्रदर्श-4 पेश
प्रदर्श 3, एव खसरा गिरदावरी नकल सं.
किये है तथा पूर्व मे नकल खसरा गिरदावरी सं. 2024-25, असल इकरार-
नामा बाबूलाल तारीख 27-3-70 प्रदर्श-7 पेश किये है, तथा 7 रसीदे
लगान दिनांक 17-3-89, 5-10-89, 15-5-87, 6-6-89, 25-7-85, 6-6-86,
19-6-83, 20-7-82, 12-6-76, 22-1-68, 13-3-67, 18-1-66, 8-1-64 पेश की
है तथा मौखिक साक्ष्य मे बयान लेखराज-PW1, बयान पातीराम
PW-2, एव बयान गवाह रामचरन PW-3 कराये गये है।

प्रतिवादीगण की ओर से कोई दस्तावेजी एव मौखिक
साक्ष्य पेश नहीं की गयी।

बहस विद्वान अभिभाषक वादीगण एकपक्षीय
सुनी गयी। उनके द्वारा अपनी बहस मे वाद पत्र के
कथनों को दोहराया तथा कथन किया कि दावा पूर्व मे
ही डिग्री हो जाना था। प्रतिवादीगण की ओर वाद मे कोई
भी साक्ष्य वाद पत्र के कथनो को खण्डन करने के लिए
पेश नहीं की है इसलिए दावा दस्तावेजी एव मौखिक
साक्ष्य के आधार पर भली भांति साबित होता है,
वादीगण इकरारनामा एव पुराने कब्जे के साबित होने
से विवादित आराजी पर खातेदार एव काबिज काश्त
साबित होते है। प्रतिवादी बाबूलाल द्वारा विवादित आराजी
का पार्टीशन दावा दायर से 15-16 वर्ष पूर्व अर्थात वर्ष

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)

1954-55 मे करके कब्जा वादी रामसुजान का है। जिस पर तथा वह गाँव एवं घर छोड़कर म.प्र. की तरफ चला गया था इसलिए धारा 63(3)(ए) के तहत उसके खातेदारी अधिकार समाप्त हो चुके है। बाबूलाल द्वारा इकरारनामा तारीखी 27-3-70 से विवादित आराजी के हकूक वादी रामसुजान के हकमें छोड़ दिये थे, जिससे धारा 63(7) RTA के तहत विधि पूर्वक हस्तान्तरण करने पर अधिकार खातेदारी समाप्त हो जाते है। RRD 1993 पृष्ठ 232 के तहत यदि कोई व्यक्ति अ.सम्वत 2026 तक उपकृषक दर्ज हो तो धारा 19 AA राज. काश्तकारी अधिनियम के तहत खातेदारी दी जा सकती है। RRD 1967 पृष्ठ 184 की कानूनी नजीर के अनुसार अनरजिस्टर्ड दस्तावेज को साक्ष्य मे ग्रहण किया जा सकता है। अनाधिकृत कब्जे की बेदखली के सम्बन्ध कोई कार्यवाही नही हुई है न ही इकरारनामा को फर्जी साबित करने के लिए कोई सिविल कोर्ट मे कोई वाद प्रस्तुत हुआ है इसलिए कब्जे को अनाधिकृत नही माना जा सकता है तथा इकरारनामे को फर्जी नही माना जा सकता है। इस प्रकार दावा भली भाँति साबित है एवं उनके द्वारा दावा डिग्री किये जाने की प्रार्थना की गयी।

हमने पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया तथा बहस विद्वान अभिभाषक वादीगण पर मनन किया तनकीवार विवेचन / निर्णय निम्न प्रकार से है:-

<u>तनकी नम्बर-1</u> : इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर है। नकल खसरा गिरदावरी सं. 2026-29 मे विवादित आराजी प्रतिवादी सं. 1 बाबूलाल पुत्र चेतराम की खातेदारी का इन्द्राज दर्ज है इसी खसरा मे, कालम संख्या 40 एवं 41 वादी रामसुजान की शिकमी अर्थात उपकृषक दर्ज होने का इन्द्राज हो रहा है। जिससे यह प्रकट होता है कि वादी रामसुजान इस आराजी पर सं. 2026 से काबिज होकर काश्त कर रहा है। स्वतन्त्र गवाह लेखाराम द्वारा अपने शपथ पूर्वक बयान मे

क्रमशः ---7

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)

(7)

यह बताया है कि वह खेत पड़ोसी है उसने बयान देने की दिनांक 22-3-70 से 15 साल पहले बाबूलाल को गाँव छोड़कर मध्य भारत की तरफ जाना बताया है तथा खेतों पर 15 साल से रामसुजान का ही कब्जा होना बताया है अर्थात 1955 से इन खेतों पर वादी रामसुजान का निरन्तर कब्जा होना बताया है इसकी पुष्टि गवाह रामचरन ने भी अपने बयान में की है। शपथ पूर्वक बयान वादी रामसुजान एवं वादी भातीराम ने वादपत्रों के कथनों की पुष्टि की है तथा 65-70 साल से निरन्तर वादीगण का कब्जा होना बताया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत इकरारनामा असल, में विवादित आराजी को रामसुजान वादी के हक में प्रतिवादी संख्या 1 बाबूलाल द्वारा हस्तान्तरण करने का अंकन हो रहा है तथा उसी दिन कब्जा छोड़ने एवं रामसुजान द्वारा आराजी का अपने नाम कराने का अपनी सहमति/स्वीकृति दी गयी है। जिस पर बाबूलाल का 14 व 15 स्थान पर अंगूठा निशानी अंकित है तथा गवाहान के अंगूठा एवं हस्ताक्षर अंकित है। इस इकरारनामे की पुष्टि वादीगण द्वारा अपने शपथ पूर्वक बयानों से भी की है। प्रतिवादीगण की ओर से किसी साक्ष्य से इसे खण्डित नहीं किया गया है इसलिए जब कि किसी भी दस्तावेज का किसी साक्ष्य से खण्डित नहीं कर दिया जाता तब तक उसे असत्य/फर्जी नहीं माना जा सकता है। 1970 से पूर्व की लगान की रसीद 8-1-64, 18-1- 13-3-67, 9-6-68, 22-1-68 में भी खातेदार तो बाबूलाल की दर्ज है लेकिन लगान अदा करने वाले का नाम राम सुजान दर्ज हो रहा है। जिससे यह भली भाँति साबित हो जाता है कि विवादित आराजी पर वादीगण का सन 1964 से पूर्व का 55-60 साल पुराना कब्जा है तथा राजस्व रिकार्ड में खसरा 2026 उसका नाम उपबृष्ट भी दर्ज है, इकरारनामे से खातेदारी अधिकार निहित वादी रामसुजान का हस्तान्तरित किये गये है। इस प्रकार धारा 19 AA के तहत वादी रामसुजान विवादित आराजी पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी बनता है तथा धारा 63(3)(ii) RTA के तहत वर्ष 1954-5

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)

मै काश्त एव गॉव छोड़कर चले जाने तथा रामसुजान की
के
है जाने के कारण बाबूलाल के खातेदारी अधिकार समाप्त हो
चुके है। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत कानूनी नजीर RRD
1967 पृष्ठ 184 के अनुसार एक अनरजिस्टर्ड अग्रीमेन्ट को
साक्ष्य मे ग्रहण किया जा सकता है। इकरारनामे को
असल/कर्ता साबित नहीं किया गया इसलिए उसे फर्जी
ही माना जावेगा। उपरोक्त विवेचन से यह साबित
हो जाता है कि वादीगण विवादित आराजी के खातेदार
कृषक एव अधिवासी है। इसलिए यह तनकी
वहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण तय की जाती है।

तनकी नम्बर – 2 – इस तनकी को साबित करने
का भार भी वादीगण पर है। तनकी नम्बर 1 के
विवेचन से यह भली भॉति स्पष्ट एव साबित हो
जाता है कि स्व. बाबूलाल पुत्र चेतराम ने वादी रामसुजान
के पक्ष मे इकरारनामा दिनांक 12-7-62 को विवादित
किया था। ऐसा होने से वादीगण विवादित आराजी मे
स्वत ही खातेदार काश्तकार घोषित करने पाने के
अधिकारी हो जाते है। इसलिए यह तनकी वहक
वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण तय की जाती है।

तनकी नम्बर – 3 :- इस तनकी को साबित करने
का भार भी वादीगण पर है। तनकी नम्बर – 1 के
विवेचन एव वादीगण तथा स्वतन्त्र गवाह लज्जाराम एव
रामचरन के शपथ पत्र बयानों से यह साबित होता
है कि बाबूलाल वादु के प्रस्तुत प्रकरण से 15-16 वर्ष
पूर्व अर्थात आज से लगभग 64 वर्ष पूर्व आराजीयात
को छोड़कर चला गया था। ऐसा होने से धारा 63(3)(ग)
के तहत उसके खातेदारी अधिकार समाप्त हो चुके
है। अतः यह तनकी वहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण
तय की जाती है।

तनकी नम्बर – 4 :- तनकी नम्बर – 1, 2, 3 के
विवेचन के अवलोकन से यह भली भॉति स्पष्ट है
कि विवादित आराजी के बाबूलाल मे निहित खातेदारी

क्रमशः—9

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)

अधिकार समाप्त हो चुके हैं। अतः यह तनकी वहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण तय की जाती है।

अनुतोष :- उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम दावा वादीगण डिक्री किया जाना उचित समझते हैं।

अतः आदेश है कि दावा वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर विवादित आराजी खसरा नम्बर हाल 4822 रकवा 19 बिस्वा, 4821 रकवा 01 बीघा 02 बिस्वा, 4820 रकवा 01 बीघा 09 बिस्वा स्थित कस्बा महदवार नं० 2 तहसील राजाखेड़ा का वादीगण को खातेदार काश्तकार एवं काबिज काश्त घोषित किया जाता है। राजस्व रिकार्ड मे वर्तमान इन्द्राजात कलमबजद किया जाकर वादीगण सं 1/1 लगा॰ 1/6 के नाम के इन्द्राजात दर्ज किये जावे के आदेश दिये जाते हैं। प्रतिवादी संख्या 1/1 लगायत 1/5 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण के कब्जे काश्त मे कोई हस्तक्षेप न करें। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली बाद सुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। हुकम सुनाया गया।

आज दिनांक 9/9/2019 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(मुकेश कुमार मीणा)
(आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)
राजाखेड़ा